इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 507]   भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 17, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. 31496-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधानन (संशोधन) 2016 (क्रमांक 32 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 8 दिसम्बर 2016 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१६

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम.

२. धारा ३ का संशोधन.

३. धारा ५ का संशोधन.

४. धारा १३ का संशोधन.

५. प्रथम अनुसूची का संशोधन.

६. द्वितीय अनुसूची का संशोधन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३२ सन् २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"(३) मध्यप्रदेश राज्य में उपयोग के लिए रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर, उपधारा (१) के अधीन देय कर के अतिरिक्त, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन से, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से "हरित कर" देय होगा.

(४) उपधारा (१) और (३) के अधीन देय कर के अतिरिक्त मोटरयान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से "अंतरण कर" देय होगा.".

धारा ५ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (२) में, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, उपधारा (२) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा यान जो कि मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत है और जिसके जीनवकाल कर का संदाय द्वितीय सूची में विनिर्दिष्ट दर से किया गया है, ऐसे यान का स्वामी जीवनकाल कर का २५ प्रतिशत शास्ति के रूप में जमा करने का दायी होगा.".

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद पांच में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "५०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(२) ऐसे मालयान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत था और जिसका पंजीकृत लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा :—

(क)	१२००० किलोग्राम से अधिक परन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपये ३२५० प्रति तिमाही
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपये २५० प्रति तिमाही :

परन्तु यान के स्वामी को द्वितीय अनुसूची के मद ७ के अनुसार जीवनकाल कर भुगतान करने का विकल्प होगा.''.

(ग) उप मद (३) में, स्पष्टीकरण ३ एवं ४ का लोप किया जाए;

(दो) मद छह में, कालम (२) में, अंक "४८०" के स्थान पर, अंक "६००" स्थापित किए जाएं;

(तीन) मद आठ के पश्चात्, निम्नलिखित नए मद अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"नौ. अंतरण कर

स्वामित्व के अंतरण के समय, निम्नलिखित अंतरण कर देय होगा :—

(एक)	गैर परिवहन यान	पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का १ प्रतिशत.
(दो)	परिवहन यान	पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का ०.५ प्रतिशत.

स्पष्टीकरण.— यान के स्वामी की मृत्यु होने पर स्वामित्व के अंतरण की दशा में अथवा मोटरयान अधिनियम, १९८८ (१९८८ का ५९) की धारा ५० की उपधारा (२) के अधीन सरकार द्वारा लोक नीलामी द्वारा अंतरण पर इस अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट अतिरिक्त मोटरयान कर देय नहीं होगा.

दस. हरित कर

(१) पंजीयन के नवीकरण के समय अथवा पंजीयन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, गैर परिवहन यान पर निम्नलिखित हरित कर देय होगा—

(क)	दो पहिया वाहन पर	रुपए ५०० (पांच वर्ष के लिए)
(ख)	दो पहिया वाहन से भिन्न अन्य यान पर	रुपए १००० (पांच वर्ष के लिए).

(२) विनिर्माण वर्ष से आठ वर्ष पुराने परिवहन यान का फिटनेस प्रमाण-पत्र के समय, निम्नलिखित हरित कर देय होगा—

(क)	दो पहिया वाहन, हल्के मोटरयान एवं मध्यम मोटरयान	रुपए ५००
(ख)	भारी मोटरयान	रुपए १०००".

६. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में,—

(एक) मद १, २ तथा ३ का लोप किया जाए;

(दो) मद ४ के पश्चात्, निम्नलिखित नई मदें स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"४ क. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन/परिवहन यान जिनका मानक मूल्य १० लाख तक हो—

(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत

(ख)	पेट्रोल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
(ग)	हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत
(घ)	बैटरी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत

४ ख. मोटर साईकिल तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जिनका मानक मूल्य रुपए १० लाख से अधिक हो—

(क)	डीजल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ९ प्रतिशत
(ख)	पेट्रोल द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ८ प्रतिशत
(ग)	हाईब्रिड/सी एन जी/ एल पी जी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ७ प्रतिशत
(घ)	बैटरी द्वारा चलित	यान के मानक मूल्य का ६ प्रतिशत

४ ग. ऐसे दुपहिया तथा १२+१ तक बैठक क्षमता वाले गैर-परिवहन / परिवहन यान जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर मध्यप्रेदश राज्य में लाए गए हो, उक्त यान का स्वामी मद ४ क तथा ४ ख में उल्लिखित दरों के निम्नलिखित प्रतिशत में कर का संदाय करेगा—

(क)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने पंजीकृत यान.	८० प्रतिशत
(ख)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को, पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान.	६० प्रतिशत'';

(तीन) मद ५ का लोप किया जाए;

(चार) मद ७ में, शब्द तथा अंक ''रजिस्ट्रीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम या कम है तथा'' का लोप किया जाए तथा उप-मद (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परंतु ऐसे माल यान जिनका लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक हो, यान के स्वामी के पास प्रथम अनुसूची के मद पांच (२) के अनुसार कर के संदाय का विकल्प होगा.'';

(पांच) मद ७ के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''७ क ऐसे माल यान अथवा ऐसे मोटरयान जो इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों की किसी श्रेणी के अंतर्गत न हों, जो अन्य राज्यों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य में पंजीयन के लिए लाए गए हों, उन पर जीवनकाल कर की दर निम्नानुसार होगी :—

(क)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष तक पुराने माल यान/मोटर यान	यान के मानक मूल्य का ५ प्रतिशत
(ख)	अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख को पंजीयन की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पुराने माल यान/मोटर यान	यान के मानक मूल्य का ४ प्रतिशत

उद्‌देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) राज्य में मोटरयानों पर कर के उद्‌ग्रहण के संबंध में विधि एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है. इस अधिनियम में कर दरें मोटरयानों के विभिन्न रूपान्तर एवं प्रवर्ग के उपयोग के आधार पर नियत की गई हैं. यानों की संख्या तथा प्रकार में अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कर के उद्‌ग्रहण को युक्तिसंगत करने की आवश्यकता अनुभव की गई है.

२. पर्यावरणीय प्रदूषण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रदूषण करने वाले यानों को अतिरिक्त कर अधिरोपित करके हतोत्साहित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है. इस महत्वपूर्ण उद्‌देश्य के लिये हरित कर अधिरोपित करने का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

३. यान के स्वामित्व के स्थानांतरण की दशा में "स्थानांतरण कर" के उद्‌ग्रहण के लिये भी उपबंध किया गया है.

४. अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन करके अथवा बिना अनुज्ञा के चलाए जा रहे यानों की दशा में, जीवन काल कर का भुगतान करने वाले यानों के लिये, जीवन काल कर के किसी प्रतिशत की शास्ति का उपबंध किया गया है.

५. ऐसे माल यान के स्वामियों के लिये जिनका पंजीकृत लदान भार ५००० किलोग्राम तक है जीवन काल कर का उपबंध अधिनियम में पूर्व से ही विद्यमान है. अब १२००० किलोग्राम तक के लदान भार वाले पंजीकृत मालयान को जीवन काल कर के अधीन लाना प्रस्तावित है. ऐसे यान के लिए जिनका लदान भार १२००० किलोग्राम से अधिक है, त्रैमासिक कर के साथ जीवन काल कर के लिए विकल्प दिया गया है जिससे कि यान का स्वामी अन्य विकल्प का लाभ उठा सके.

६. द्वितीय अनुसूची में, कर की दरें और अधिक स्पष्ट करके युक्तियुक्त और सरलीकृत की है.

७. अतएव, अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किया जाना प्रस्तावित है.

८. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक ६ दिसम्बर, २०१६.

भूपेन्द्र सिंह
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ (१) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 514] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

क्र. 19400-301-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (32 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 32 OF 2016

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of Section 3.
3. Amendment of Section 5.
4. Amendment of Section 13.
5. Amendment of First Shedule.
6. Amendment of Second Schedule.

MADHYA PRADESH BILL

No. 32 OF 2016

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016

A bill further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), (hereinafter referred to as the principal Act), after sub-section (2), the following new sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3) In addition to tax payable under sub-section (1), on every motor vehicle being kept for use in the State of Madhya Pradesh, "Green Tax" shall be payable at the rate specified in the First Schedule, for the prupose of implementation of various measures to control air pollution.

(4) In addition to tax payable under sub-section (1) and (3), "transfer tax" shall be payable at the rate specified in the First Schedule on every transfer of ownership of motor vehicle.".

Amendment of Section 5.

3. In Section 5 of the Principal Act, in sub-section (2), first, second and third provison shall be omitted.

Amendment of Section 13.

4. In Section 13 of the principal Act, in sub-section (2), for full stop, colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that such vehicle which is registered in the State of Madhya Pradesh and has paid life time tax at the rate specified in the Second Schedule, the owner of the vehicle shall be liable to deposit 25 percent of the life time tax as a penalty.".

Amendment of First Shedule.

5. In the First Schedule to the principal Act,—

(i) in item V,—

(a) in sub-item (1), for the figure "5000", the figure "12000" shall be substituted;

(b) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely:—

"(2) On goods vehicle which was registered in the Madhya Pradesh prior to 1st October, 2014 and having registered laden weight more than 12000 kg the tax shall be as follows:—

(a) Exceeds 12000 kg. but does not exceed 13000 kg.	Rs. 3250 per quarter
(b) Thereafter for each 1000 kg. or part thereof	Rs. 250 per quarter:

Provided that the owner of the vehicle shall have option to pay lifetime tax in accordance with item 7 of the Second Schedule.";

(c) in sub-item (3), explanations 3 and 4 shall be omitted;

(ii) in item VI, in column (2), for the figure "480", the figure "600" shall be substituted;

(iii) after item VIII, the following new items shall be inserted, namely:—

"IX TRANSFER TAX

At the time of transfer of ownership, the following transfer tax shall be payable:—

(i) non-transport vehicle	1 percent of the standard price of the vehicle at the time of registration
(ii) transport vehicle	0.5 percent of the standard price of the vehicle at the time of registration.

Explanation.—In case of transfer of ownership on death of vehicle owner or on transfer by public auction by the Government under sub-section (2) of Section 50 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), additional motor vehicle tax shall not be payable as specified in this Schedule.

X. GREEN TAX

(1) On an application submitted in the office at the time of renewal of registratiion or after expiration of the term of registration, the followimg Green tax shall be payable on the non-transport vehicle—

(a) On two wheeler	Rs. 500 (for five years)
(b) On vehicle other than two wheeler	Rs. 1000 (for five years)

(2) At the time of fitness certificate of eight years old transport vehicle from the manufacture year, the following Green tax shall be payable—

(a) Two wheeler, light motor vehicle and medium motor vechicle	Rs. 500
(b) Heavy motor vehicle	Rs. 1000".

6. In the Second Schedule to the principal Act,- **Amendment of Second Schedule.**

(i) items 1, 2 and 3 shall be omitted;

(ii) after item 4, the following new items shall be inserted, namely—

"4A. Motor cycle and non-transport/transport vehicle having seating capacity up to 12+1, having standard price up to Rs. 10 lakh—

(a) Driven by Diesel	8 percent of the standard price of vehicle
(b) Driven by Petrol	7 percent of the standard price of vehicle
(c) Driven by Hybrid/ CNG/ LPG	6 percent of the standard price of vehicle

(d) Driven by Battery — 5 percent of the standard price of vehicle.

4B. Motor cycle and non-transport/transport vehicle having seating capacity up to 12+1, having standard price exceeding Rs. 10 Lakh—

(a) Driven by Diesel	9 percent of the standard price of vehicle.
(b) Driven by Petrol	8 percent of the standard price of vehicle.
(c) Driven by Hybrid/ CNG/ LPG	7 percent of the standard price of vehicle.
(d) Driven by Battery	6 percent of the standard price of vehicle.

4C. On such two wheeler and non-transport/transport vehicle having seating capacity up to 12+1 which are brought into the State of Madhya Pradesh from other State obtaining on objection certificate, such vehicle owner shall pay tax in the following percentage of rates mentioned in items 4A and 4B—

(a) Up to three years old registered vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate	80 percent
(b) More than three years old registered vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate.	60 percent'',

(iii) item 5 shall be omitted;

(iv) in item 7, the words and figure "having registered laden weight 5000 kg. or less and" shall be omitted and after sub-item (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that such Goods Carriage having laden weight more than 12000 kg., the owner of the vehicle shall have option to make payment of tax in accordance with item V (2) of the First Schedule.";

(v) after item 7 , the following item shall be inseted be inserted, namely:—

"7A. Such Goods Carriage or such motor vehicle which are not covered in any of the category of vehicles specified in this Schedule which are brought for registration in the State of Madhya Pradesh after obtaining no objection certificate from other state, the rate of life time tax shall be as follows:—

(a) Up to three years old Goods Carriage / Motor vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate.	5 percent of the standard price of the vehicle
(b) More than three years old Goods Carriage / Motor vehicle from the date of registration, on the date of issue of no objection certificate.	4 percent of the standard price of the vehicle.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

1. The Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) has been enacted to regulate law and procedure in respect of levy of tax on the motor vehicles in the State. The tax rates have been fixed on the basis of uses of different in the State. The tax rates have been fixed on the basis of uses of different variant and category of motor vehicles in this Act.. Keepingt in view the enormous in the number and variant of the vehicles, it is felt necessary to rationalise the levy of tax.

2. Keeping in view the environmental pollution, it is felt necessary to discourage polluting vehicles by imposing additional tax. For this significant object the provision for levy of Green Tax has been proposed.

3. The provision has also been made to levy "Transfer tax" in case of transfer of ownership of vehicle.

4. In case of plying vehicles in violation of conditions of permit or without permit, penalty provision of a percentage of life time tax had been made for the life time tax paid vehicles.

5. The provision of life time tax for the owners of goods carriage having registered laden weight up to 5000 kilograms already exists in the Act. Now, it is proposed to cover goods carriage having registered laden weight up to 12000 kilograms under life time tax. For vehicle having laden weight exceeding 12000 Kilograms the option has been given for lifetime tax along with quarterly tax so as the owner of the vehicle may avail another option.

6. In the Second Schedule, the rates of tax has been rationalized and simplified making it more clear.

7. Therefore, it is proposed to make suitable amendments in the Act.

8. Hence this Bill.

BHOPAL :
Dated the 6th December 2016

BHUPENDRA SINGH
Member-in-charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.